20

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

की

ऑडिट रिपोर्ट

अवधि

वर्ष 1986–87 एवं 1987–88

Scanned with CamScanner

(19) 1/19

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार के लेखों पर सम्परीक्षा एवं निरीक्षण आख्या :-

---

अवधि- 1986-87 व 1987-88

प्रथम भाग

=======

1- प्रारम्भिक :-

=============

वर्तमान सम्परीक्षा दिनांक 23. 8. 88 को प्रारम्भ एवं दिनांक 14. 6. 89 को समाप्त हुई तथा वर्ष 1986-87 व 1987-88 के लेखों से सम्बंधित है।

विकास प्राधिकरण हरिद्वार का गठन शासकीय अधिसूचना संख्या 540/11-5-86- 23(1)डी०एम० एस०85 दिनांक 2 मई 1986 तथा विज्ञप्ति संख्या-3692/11- 5-86-23(1) डी०ए०/85 दिनांक 2 मई 1986, "लखनऊ" के अन्तर्गत किया गया था। विकास प्राधिकरण हरिद्वार के उपर्युक्त अवधि के लेखों की सम्परीक्षा, इस विभाग द्वारा प्रथम बार की गयी है।

द्वितीय भाग :- (वर्तमान लेखा परीक्षा)

2. प्रशासन :-आलोच्य अवधियों में क्रमशः दिनांक 1.4.86 से दिनांक 1. 8.86 तक जिलाधिकारी सहारनपुर उपाध्यक्ष, दिनांक 2. 8. 86 से दिनांक 21.2.87 तक श्री संजीव नायर, आई०ए०एस०उपाध्यक्ष, दिनांक 22. 2.87 से दिनांक 31. 3. 88 तक श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव आई०ए०एस० उपाध्यक्ष तथा दिनांक 1. 8.86 से दिनांक 31. 3. 88 तक श्री आर०एन०उपाध्याय सचिव, विकास प्राधिकरण हरिद्वार के पद पर आसीन रहे।

3. वित्तीय स्थिति :- विकास प्राधिकरण के आय-व्यय का वर्गीकृत सारांश नहीं अनुरक्षित था। आय -व्यय से सम्बन्धित मासिक एवं वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गये थे। कैश बुक में आय-व्यय का मासिक योग नहीं

----क्रमशः 2

अंकित था । बैलेन्स सीट भी तैयार नहीं की गयी थी । ऐसी स्थिति में वर्ष में अंकित आय -व्यय के बाहय आगणन के आधार पर संकलित वित्तीय स्थिति निम्न वत थी, जो अनन्तिम है ।

	रुपये पैसे 1986-87	1987-88
1 अप्रैल को रोकड़ अवशेष	शून्य	38,86,211-02
वर्ष की आय	46,24,939-90	71,73,240-36
योग	46,24,939-90	1,10,59,451-38
वर्ष में व्यय	7,38,728-88	50,35,096-31
31 मार्च को रोकड़ इतिशेष	38,86,211-02	60,24,354-07 (क)
31 मार्च को रोकड़ बही लेजर इतिशेष	38,86,211-02	65,64,544-02 (ख)
31 मार्च को बैंक पासबुकों का शेष	38,86,211-02	65,64,544-02
अन्तर (क) व (ख) का	-	-5,40,189-93

बैंक पास बुको तथा लेजर के अनुसार इतिशेष का विवरण:-

	1986-87	1987-88
(1) नकद हस्तगत	1,200-00	शून्य
(2) स्टेट बैंक आफ इण्डिया हरिद्वार खाता नं० 11137	-	71,200-00
(3) पंजाब ने० बैंक ऋषिकेश खाता नं० 10579	-	1,42,075-00
(4) यूनियन बैंक आफ इण्डिया ऋषिकेश खाता सं० 9190	1,16,369-00	23,849-10
(5) पंजाब नेशनल बैंक ऋषिकेश खाता सं० 2175		2,17,364-50
(6) सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया हरिद्वार बैंक खाता सं० 6000	17,68,642-02 (क)	3,08,141-12
7- पंजाब नेशनल बैंक हरिद्वार खाता सं० 5735		45,840-10
(8) पंजाब नेशनल बैंक नगर पालिका हरिद्वार खाता सं० 5735		3,56,075-00
योग	18,86,211-02	+1,64,544-02

पिछला अवशेष	18,86,211-02	11,64,544-82
[ ] सावधि जमा पत्रो मे [विनियोजित]	20,00,000-00	54,00,000-00
कुल योग	38,86,211-02	65,64,544-82

टिप्पणी-: [1] वर्ष 1986-87 के लेजर तथा बैक शेष स्टेटमेंट के अनुसार विवरण के क्रमाक [6] अंकित सेन्ट्रल बैक आफ इण्डिया हरिद्वार खाता संख्या 8000 मे 31 मार्च 87 को रुपये 19,443-30 का अन्तर था। अर्थात् लेजर का रू017,68,642-02 एवं बैक का रुपये 17,88,085-32 शेष था। इसका समाधान विवरण तैयार कर अन्तर को आगामी अवसर पर स्पष्ट किया जाय।

[2] वर्ष 1987-88 मे दिनांक 31.3.88 को रोकड़शेष तथा लेजर व पासबुको के बैक शेष में रुपये 5,40,189-95 का अन्तर था। इस अन्तर को बैक समाधान विवरण बनाकर स्पष्ट किया जाय। लेजर एवं बैक पास बुकों का इतिशेष एक ही था। परन्तु परिगणनानुसार उक्त अन्तर प्रकाश में आया। अतः [क] [ख] के अन्तर [ग] का कारण भी आगामी सम्परीक्षा मे स्पष्ट किया जाय।

[3] लेजर का इतिशेष रुपये 65,64,544-82 के जगह रुपये 60,24,354-87 होना था। ऐसी दशा मे 31 मार्च 88 तक निर्गत समस्त चेक भुन चुके थे, का कारण प्रमाण पत्र सहित दिया जाय।

[4] वर्षान्तों मे बैक तथा लेजर के अनुसार इतिशेष का संशोधन तैयार नही है। यह उचित नही था। इसे तैयार कर आगामी अवसर पर दिखाया जाय।

[5] लाइसेन्स शुल्क की आय का योग रुपये 32,600-00 के जगह रुपये 28,600-00 अंकित था। इस प्रकार रुपये4,000.00 कम अंकित था। इसी प्रकार शिवलोक आवासीय योजना के पंजीकरण शुल्क का योग रुपये 26,23,575 के जगह रुपये 22,52,325-00 दिखाया गया था। इस तरह कुल रुपये 3,75,250-00 कम आय दिखायी गयी थी। इस तरह के उदासीनता से प्राधिकरण की आर्थिक क्षति होने की सम्भावना वर्तमान रहती है। अभिलेखो में उचित संशोधन करते हुए कम आय दिखाने का कारण स्पष्ट किया जाय।

(8) स्वीकृत सारे पत्री अनुरक्षित कर उसकी प्रविष्टियां अनुच्छेद में स्थानान्तरित कराकर आगामी अवसर पर दिखायी जाय।

(8) आय-व्यय से सम्बन्धित मासिक एवं वार्षिक लेखे तैयार कर आगामी अवसर पर दिखाये जाय तथा रोकड़ बहियों का मासिक मिलान किया जाय।

(8) मिलान सीट तैयार नहीं की गयी थी। रिकन्सीलियेशन स्टेटमेंट भी तैयार नहीं किया गया था। समाधान लेखा में कैश बुक तथा बैंक के इतिशेषों का मिलान नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्रांक- संदर्भ-5/एफ(34)/एम-5781/80 दिनांक 27.11.80 के अनुसार भी यह मिलान आवश्यक था। इसे तैयार कराया जाय तथा इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(9) रोकड़ियों द्वारा अपनी रोकड़ बही नहीं अनुरक्षित (बनायी) गयी थी। इससे यह विदित नहीं हो सका कि इसके नाम कितने का चेक कटे थे। कितना-2 धन किसको-2 वितरीत हुआ। तथा किस तिथि को कितना अवशिष्ट रहा। आय का धन किस-2 दिन कितना आया, कब कितना जमा हुआ तथा नकद धन अवशिष्ट रहा।

(10) बजट :- विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय की जांच व्यय हेतु "बजट" पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गयी। अतः ऐसी दशा में अधि[illegible] बजट प्राविधानों की समुचित जांच :- सम्भव न था। यह भी सम्भव है कि प्राधिकरण का व्यय, बजट प्राविधानों तक सीमित न रहा हो। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

(11) आय-व्यय का विवरण परिशिष्ट (क) पर अंकित है।

4. नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व :- विकास प्राधिकरण का आलोच्य वर्ष का न तो तुलन पत्र बनाया गया था और न दिनांक 31 मार्च को प्राधिकरण के नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्वों का विवरण नहीं तैयार किया गया था। जिससे इसके सम्बन्ध में वांछित जांचकर स्थिति का आकलन बाह्य परिगणनानुसार सम्भव नहीं हो सका। इस निर्मित अधियाचन संख्या 40 दिनांक 21.1.89 द्वारा उपाध्यक्ष एवं सचिव का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया गया था। इसे तैयार कर आगामी अवसर पर दिखाया जाय।

..../6

...कीय अनुदान :- प्रमाणित किया जाता है कि विकास प्राधिकरण ...र को आलोच्य वर्ष में प्राप्त अनुदानो का उपभोग उन्ही मदो पर ...या है, जिस निर्मित वे स्वीकृत थे । इन पर लगाये गये शर्तो का ...आख्या मे अन्यथा उल्लिखित अनुच्छेदों के अतिरिक्त नहीं किया ...ा है । अनुदानो का विवरण परिशिष्ट "ख" मे उल्लिखित है । निरस्त

...आलोच्य वर्षो मे प्राधिकरण को निम्न अनुदान प्राप्त हुआ था ।
...र्ष 1986-87 मे शा0सं05912/11-5-86-23§1§डी0ए0/ डी0ए0/8 दिनांक 9.1.87 द्वारा रुपये 1,00,000-00 स्थापना अनुदान स्वीकृत था, जो दिनांक 9.2.87 को प्राप्त हुआ था ।
वर्ष 1987-88 हेतु शासनादेश सं02876/11-5-87 दिनांक 2.7.87 द्वारा रुपये 1,00,000-00 का अनुदान स्वीकृत हुआ था, जो दिनांक 10.9.87 को प्राप्त हुआ था ।

टिप्पणी :- §1§ स्वीकृत पत्र के अनुसार दिनांक सितम्बर 87 तक उक्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करना था जो सम्प-रीक्षा समय तक महालेखाकार§इलाहाबाद§ को प्रेषित नही था । इसे तत्काल प्रेषित कराकर आगामी सम्परीक्षा समय दिखाया जाय ।

§11§ अनुदानो का विवरण परिशिष्ट "ख" व "घ" पर अंकित है।

6. अनावर्तक अनुदान :- आलोच्य अवधियो में कोई भी अनावर्तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था । इसकी लिखित पुष्टि की जाय ।

7. देय सम्परीक्षा शुल्क :- आलोच्य वर्ष 1986-87 के कुल आय रुपये 46,24,939-90 पर शासनादेश संख्या- आडिट 1982/दस-78-355§10/71 दिनांक 21 जून 1978 के आधार पर सम्परीक्षा शुल्क कुल रुपये 14,390/- आरोपित किया गया है ।

इसी प्रकार वर्ष 1987-88 की कुल आय रुपये 71,73,240-36 मे से ठेकेदारो की जमानत की धनराशि रुपये 23,480/- तथा शिवलोक आवासीय योजना, टीबड़ी ....., हरिद्वार वर्ष 1987-88 मे वापस पंजीकरण शुल्क की धनराशि रुपये 3,75,250-00 कुल रुपये3,98,730-00 घटाने पर अवशेष धन रुपये 67,74,510-36 पर उपरोक्त शासनादेशानुसार निर्धारित दर से सम्परीक्षा शुल्क रुपये 20,840-00 आरोपित किया गया है ।

§1§ इसका विवरण परिशिष्ट "च" पर अंकित है ।
§11§ ..... उपर्युक्त सम्परीक्षा शुल्क को निम्नांकित शीर्षक मे

Scanned with CamScanner

सरकारी कोषागार में जमा कराकर मालाकी मापयां से अतिरिक्त अधि... को प्रेषित किया जाय।

कोषागार:एस:टी:ई:-

"0070 अन्य प्रशासनिकसेवायें,
-60 अन्य सेवायें
110 सरकारी लेखा परीक्षा आडिट के लिये
प्राप्तीय में जमा किया जाय।

§111§ शुल्क हेतु बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया था। भविष्य में इसका प्राविधान किया जाय।

8. राजकीय "ऋ" ऋण :- राजकीय ऋणों की प्राप्ति एवं प्रतिसंदाय से सम्बन्धित स्थिति सलग्न परिशिष्ट "ग" में दर्शायी गयी है। आकड़ो की पुष्टि वाछनीय है।

§2§ कोई ऋण पंजिका नहीं बनायी गयी थी। इसे अनुरक्षित कर आगामी अवसर पर दिखाया जाय।

§3§ प्रमाणित किया जाय कि उपरोक्त के अतिरिक्त आलोच्य अवधियों में अन्य कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ।

§4§ क्रमाक 1 पर अकित ऋण के सम्बन्ध में शासनादेश के पैरा 2 के अनुसार इस ऋण का उपभोग केवल आवासीय योजनाओं में, भूमि अध्याप्ति एवंविकास योजनाओं के अन्तर्गत किया जाना था।

प्रस्तर 3 के अनुसार निर्मित भवनों का आवटन केवल कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वाले व्यक्तियों को ही किया जायेगा।

शर्त -5 के अनुसार प्राधिकरण अपनी योजनाओं का प्रारूप तैयार करके मुख्य नगर एव ग्राम्य नियोजक उत्तर प्रदेश से स्वीकृति कराके भूमि अध्याप्ति एव आवासीय योजना कार्यान्वित करने की कार्यवाही करेगे।

ऋण उपयोग से सम्बन्धित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन तथा मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजना था।

उपर्युक्त शर्तों के परिपालन की स्थिति को स्पष्ट किया जाय।

§5§ क्रमांक 2 पर अकित ऋण रुपये 15,00,000-00 के सम्बन्ध में शासनादेश की शर्त §1§ के अनुसार धनराशि जिला-- विकास प्राधिकरण के पी०एल०ए० खाते में डाली जानी थी और उसे शासन के अनुमति से तभी निकाला जायेगा जब उसके व्यय की वास्तविक आवश्यकता हो। यदि प्राधिकरण के पास पी०एल०ए० खाता न हो, तो वहा के सम्बन्धित

धिकारी के पी0एल0ए0 खाते मे नही डाला जायेगा ।

बाकी शर्ते क्रमांक 1 पर अंकित ऋण के अनुरूप थी ।

उक्त धनराशि को पी0एल0ए0 कोषागार खाते मे न रखकर प्राधिकरण के खाते मे जमा कर दिया गया था ।जो उचित नही था ।

शासनादेश मे निहित शर्तों के उंलघन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय ।

9. विनियोजन :- उप सम्परीक्षा मे प्रस्तुत विवरण के अनुसार आलोच्य वर्षों में विनियोजन की स्थिति निम्नांकित थी । विनियोजित धनराशियो किन-किन मदो की थी, उल्लिखित नही था । इसकी स्थिति आगामी अवसर पर स्पष्ट किया जाय ।

परिपक्वता तिथि तथा भुनाने के बाद प्राप्त होने वाली धनराशि का उल्लेख पंजी में दर्ज नहीं था । इसे पूर्ण कर तत्काल सूचित किया जाय ।

वर्ष 1986-87 में विनियोजित धनराशियो से प्राप्त व्याज की स्थिति वर्ष 1987-88 में विनियोजन के पूर्व का उल्लिखित नही था । इसे विवरण सहित स्पष्ट किया जाय ।

क्रमांक बैंक का नाम	सावधि जमा रसीद की सं0	विनियोजन की तिथि	विनियोजित धनराशि	विनियोजन की अवधि/तिथि
1. सेण्ट्रल बैंक आॅ0इ0 हरिद्वार	यू0/ए993958	28.11.86	4,00,000/-	6 माह
2. पंजाब नेशनल बैंक मायापुर हरिद्वार	क्यूएडी0क्यू0-175445	28.2.87	2,50,000-00	-"-
3. स्टेट बैंक हरिद्वार	टी0एन0951222	1.3.87	2,50,000-00	-"-
4. इण्डियन ओवरसीज बैंक कनखल	044744	6.2.87	1,00,000-00	-"-
5. सीडिकेट बैंक कनखल	066398/22	1.3.87	2,00,000	-"-
6. -तदैव-	066399/23	1.3.87	2,00,000-00	-"-
7. -तदैव-	066400/24	1.3.87	2,00,000	-"-
8. -तदैव-	066401/25	1.3.87	2,00,000	-"-
9. -तदैव-	0787684/541	अज्ञात	2,00,000	3 माह
		योग	20,00,000	

...../8

....8

वर्ष 1987-88

1. पंजाब नेशनल बैंक मायापुर हरिद्वार	667437	24.3.88	3,00,000-00	6 माह
2. -तदैव-	क्यू0बी0एफ0 667696	2.3.88	2,50,000-00	—"—
3. -तदैव-	क्यू0बी0एफ0 667436	1.3.88	12,00,000-00	—"—
4. डाकघर मायापुर हरिद्वार	अल्प बचत पी0एल0 1431571	28.3.88	12,00,000-00	14.6.88 तक
5. तदैव -	1 वर्षीय सावधि जमा खाता सं0 235058	28.3.88	3,00,000-00	एक वर्ष के लिये
6. भारतीय स्टेट बैंक हरिद्वार	टी0एफ0 952184	1.3.88	2,50,000-00	छः माह
7. इण्डियन ओ0बैंक [illegible]	80/जी0 - 045139	23.6.87	5,00,000-00	1 वर्ष के लिये
8. -तदैव -	आर0डी0पी0 96/88	23.2.88	1,00,000-00	6 माह
9. सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	0/80896/189/88	1.3.88	2,00,000-00	6 माह
10. " -	0/80896/190/88		2,00,000-00	
11. सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	580722	29.1.88	4,00,000-00	6 माह
12. ओरियेण्टल बैंक [illegible]	अज्ञात	31.1.88	2,00,000-00	6 माह
13. पंजाब एवं सिन्ध बैंक हरिद्वार	अज्ञात	22.12.87	2,00,000-00	—"—
14. तदैव -	अज्ञात	22.12.87	1,00,000-00	—"—
		योग	54,00,000-00	

...../9

10. रुपये 3,100-00 स्थायी अग्रिम का असमयोजित पड़े रहना :-

र्ष 1987-88 में निम्न व्यक्तियों के नाम कतिपय धनराशियाँ अग्रिम के प मे असमायोजित पड़ी हुई थी । यह अग्रिम विवरण में उल्लिखित ार्यों हेतु दी गयी थी । इनके समायोजन सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये । इतने लम्बे अन्तराल तक धन को सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अपने पास रखने का कोई औचित्य नहीं था । समायोजन वाउचरों के अभाव में इसकी वापसी कराकर आगामी अवसर पर दिखाया जाय ।

के नाम कर्म./अधिकारी पद	कार्य का विवरण	अग्रिम धनराशि
श्री मामचन्द - अवर अभियन्ता	अतिथि सत्कार हेतु	500-00
" नानक चन्द गुप्ता, एडवोकेट	कानूनी व्यय हेतु	2,500-00
	योग	3,000-00

1. सम्पत्ति पजिंका :- सम्परीक्षा के समय बार-2 अनुरोध तथा अधियाचन 40-दिनाक 21.1.89 द्वारा इस निर्मित ध्यान आकर्षित करने के बावजूद ी सम्पत्ति पजिंका अनुरक्षित कर नही दिखाई गयी । अतः प्राधिकरण ल सम्पत्तियो का सम्यक सत्यापन अभिलेखो के अभाव मे नही हो सका । अनुरक्षित कर आगामी अवसर पर दिखाया जाय ।

§1§ कार्यालय भवन का उपयोग निजी आवास के रूप मे किया जा रहा था। व्यवस्था शासन-ए-1-2203/दस-14§31-60§ दिनांक 17.7.80 के परीत थी । इस निर्मित जो किराया प्राप्त हो रहा था । वह कारपेट रिया के दर से नही था । इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर आगामी वसर पर दिखाया जाय ।

2. जमानत :- प्राधिकरण हरिद्वार में कार्यरत कर्मचारियो से नकद धन था भण्डार एवं सीमेण्ट स्टोर का रख- रखाव एवं लेने देन करने वाले र्मचारियो से जमानत नहीं जमा करायी गयी थी । यह प्रक्रिया अनियमित ी । नियमानुसार सम्बन्धित कर्मचारियो से जमानत जमा कराकर आगामी वसर पर दिखायी जाय ।

3. मांग समाहरण की स्थिति :-

§1§ विकास शुल्क की कितनी मांग थीय उसके विरुद्ध कितनी वसूली हुई, सूली सही समय पर हुई, मॉग सही थी, वर्षान्त में वसूली हेतु कितना धन अवशेष रहा, इसका विवरण प्रमाणित पजी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय ।

.…./10

इसके अलावा अन्य शुल्को के मांग एवं समाहरण की स्थिति भी स्पष्ट की जाय। वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाय।

14. ठेकेदारो को निर्गत सामग्रियो की मांग :- समाहरण पंजी :- इस पंजी की जांच हेतु मांग -पत्रों एवं बिलो से कटौती के सत्यापन हेतु ठेकेदारो का सामग्री मारा भुगतान बिल एवं सम्बन्धित माग समाहरण पंजी उपलब्ध नही करायी गयी। सामग्रियो की वार्षिक क्रय एवं उसके मूल्य या किराये की स्थिति (अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण) का ज्ञान सम्भव नहीं हो सका। अतः वार्षिक स्थिति का अनुमान अंकित किया जाना सम्भव न हो सका। इसे तैयार कर आगामी अवसर पर दिखाया जाय।

15. ऋणों के प्रतिदान हेतु " शोधन निधि " का न रखा जाना :- इस निधि के लेखे अनुरक्षण के अभाव में इसकी जांच सम्भव न हो सकी। नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व के साथ-2 इसका विवरण बनाया जाना आवश्यक है। इसको अनुरक्षित कराकर दिखाया जाय।

16. विकास शुल्क का उपयोग विकास कार्यों पर नहीं किया जाना, गठन के उद्देश्यो का दमन रू026,12,514-45 :- प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से स्पष्ट हुआ कि प्राधिकरण अपने क्षेत्र में कोई भी विस्तृत पैमाने पर विकास कार्य नही कर रही थी, जो था भी वह बहुत कम था। इस तरह प्राधिकरण गठन के उद्देश्यो की पूर्ति नहीं हो रही थी। इस आख्या के क्रमांक 1 प्रारम्भिक मे उल्लिखित अधिसूचना एवं विज्ञप्ति के अनुसार हरिद्वार प्राधिकरण का क्षेत्र घोषित कर, विकास हेतु ही इसका गठन हुआ था। इस क्षेत्र के विकास के निर्मित्त प्राधिकरण के पास विकास शुल्काय वर्ष 1986-87 में रूपये 3,68,802-20, वर्ष 1987-88 में रूपये 12,10,271-40 कुल रूपये 26,12,514=45 विधिवत संचित था।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 के धाराओं में इस बजत का उल्लेख करते हुए स्पष्ट निदेश दिया गया है कि "विकास शुल्क स्वरूप प्राप्त आय को प्राधिकरण क्षेत्र में विकास कार्यों पर व्यय किया जायेगा। किसी अन्य सस्थान या समिति को किसी भी रूप में स्थानान्तरित नही किया जायेगा।"
प्राधिकरण में नियत अधिकारियों के अतिरिक्त 1 सचिव 1 लेखाधिकारी 1 सहायक नगर नियोजक, 1 सहायक अभियन्ता, 6 अवर अभियन्ता, 1 नायब तहसीलदार, 1 ड्राफ्ट मैंन, 8 लिपिक, 11 अन्य कर्मचारी तथा 11 दैनिक कर्मी कार्यरत थे। 6 अवर अभियन्ता, 1 ड्राफ्ट मैन

...../11

(309)

(14)

(1/14)

यक अभियन्ता कार्यरत होने के बावजूद भी कोई विकास कार्य या जा रहा था । सभी अधिकारी/कर्मचारी मात्र नक्शा पारण में लगे थे तथा विकास कार्य शून्य था । इस ओर सक्षम अधिकारियो का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

कास व्यय समय से निर्धारित न किये जाने के कारण प्राधिकरण

खो रुपये का सम्भावित क्षति :- विकास प्राधिकरण हरिद्वार के बैठक दिनांक 13.11.86 को " विकास व्यय दर निर्धारण के सम्बन्ध में । लिये गये निर्णयानुसार निम्न क्षेत्रो में विकास व्यय निम्नाकित निश्चित किया गया ।

र्य नगर	रुपये 32/- प्रति वर्ग मीटर	
रवा0स0गृ0समिति "	38/- ——"——	
ना नगर "	35/- "——"——	
राम आश्रम "	28/- ——"——	
ल बाग कालोनी "	28/- ——"——	
मदपुर कड़द नई कालोनी	28/- ——"——	
0एच0इ0एल0 सेक्टर	38/- ——"——	
के पास कालोनी		

परोक्त के अतिरिक्त दिनांक 25.2.87 को बैठक के निर्णय के अनुसार पुरी कालोनी में रुपये 50/- प्रतिवर्ग मीटर विकास व्यय लिया स्वीकृत हुआ था । अन्य क्षेत्रो में उपरोक्त दर से ही विकास शुल्क जाता रहा । विल्डप एरिया से विकास शुल्क नही लिया जाता था । यह विदित है कि प्राधिकरण मई 86 से गठित था । परन्तु विल्टप से विकास शुल्क लेने का कोई निर्णय नहीं लिया हो सका था । किस कारण हुआ स्पष्ट किया जाय ।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि समिति की चतुर्थ दिनाक 30.11.87 मे अन्य क्षेत्रो के अतिरिक्त विल्टप एरिया से विकास शुल्क लेने का निर्णय किया गया था । अतः दिसम्बर 87 के पूर्व स्वीकृत क्षेत्रो के अतिरिक्त अन्य विल्टप क्षेत्रो से बिना विकास शुल्क लिये मानचित्र पास किये जाने से प्राधिकरण को लाखों रुपयें की क्षति भावित थी ।

यह स्पष्ट किया जाय कि विल्टप एरिया के मानचित्रों को स्वीकृत के पूर्व विकास शुल्क किन कारणों से नही लिया गया तथा दर क्यों गत न करायी गयी ।

Built up / Non-built up area का identification, मास्टर प्लान बनने के बाद ही संभव हुआ। अत: संभवत: मास्टर प्लान के अभाव में वर्ष 1986 में Built up/Non-built up area के क्लियर identification के Built up क्षेत्रों से विकास शुल्क की वसूली नहीं हुई होगी।

[signature] 5/5/..

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हेतु प्राधिकरण की समस्त बैठकों में रखे जाने वाले एजेण्डों एवं कार्यवाहियों को आगामी अवसर पर प्रस्तुत किया जाय।

18. मानचित्र पारण के पूर्व, टेक्निकल अधिकारी की आख्या का न लिया जाना :- प्राधिकरण हरिद्वार में दिनांक 2 अप्रैल 1987 से श्री राजेन्द्र प्रकाश गुप्ता "नायब तहसीलदार" प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे। किसी भी तम्मीर मानचित्र को पारित करने के पूर्व इनकी आख्या नहीं ली गयी थी। जबकि भूमि सम्बन्धित सभी मामलों के निस्तारण हेतु तथ्य व वास्तविक स्थिति के ज्ञान हेतु, सस्ते और सुविधा जनक भूमि प्राधिकरण को अधिग्रहण करने में मदद के लिये इनकी नियुक्ति की गयी थी। इनकी सेवाओं का उपयोग भूमि अधिग्रहण में नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाय।

नक्शा पारण में, भूमि के अधिपत्य के सत्यापन, हेतु इनकी आख्या अनिवार्य थी। इनकी आख्या के अभाव में यह स्पष्ट था, कि तथ्यों से हट कर, अनियमित भूमि पर भी नक्शे पास किये जा रहे थे। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्यवाही कर, परिणाम से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

19. प्राधिकरण गठन के पूर्व "अनाधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में कार्यवाही न, किया जाना :- उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 के इस निर्मित उल्लिखित धाराओं के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा "इस प्राधिकरण के गठन के पूर्व बिना नक्शा पास कराये तथा अनाधिकृत रूप से बनाये गये भवनों, होटलों, सरायों, धर्मशालाओं के सम्बन्ध में नियमानुसार कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी। उपरोक्त अधिनियम में उल्लिखित नियमों का परिपालन सुनिश्चित कर इसे तत्काल लागू किया जाय।

20. निषिद्ध स्थानों पर निर्माण करने की अनुमति न देने का प्रमाण पत्र अप्रस्तुत :- हरिद्वार क्षेत्र में हरि की पौड़ी कुम्भ क्षेत्र, अन्य घाटों इत्यादि निषिद्ध स्थानों पर, बिना शासन की अनुमति, नियमों, उपविधियों में प्राविधानके होटलों, मकानों/सेवाश्रयों इत्यादि के नक्शे पारित कर निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा सकती थी। प्राधिकरण द्वारा इन क्षेत्रों में पारित नक्शों की पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी

.../13

हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना शासन के अनुमोदनोपरान्त जनवरी, 1992 से विधिवत रूप से लागू है। तदोपरान्त महायोजना के प्राविधानों के अनुरूप ही मानचित्र पारित किये जा रहे हैं। अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध धारा 27/28 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है तथा वर्तमान में नवीनतम ... है तथा इसी के अनुरूप मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे

Scanned with CamScanner

(13)

...कोई लिखित प्रारूप-पत्र ही दिया गया, जिससे यह स्पष्ट
...स्थानों पर कोई नक्शा पारित नहीं था। इस सम्बन्ध में
...प्राधिकारियों से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

...निर्माणों की जाच सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत:-

...1985-87 में जिप्सी यू0जी0एक्स-4533 द्वारा प्राधिकरण के सचिव
...दिनांक 22.10.86 को आई0डी0पी0एल0, स्वर्गाश्रम क्षेत्र, ऋषिकेश
...में अवैध निर्माणों के जाच हेतु यात्रा की गयी थी। इसके अतिरिक्त
...दिनाकों में, जांच हेतु यात्राये की थीं। इन जाचों में क्या पाया
...गया, से सम्बन्धित अभिलेख अनुपलब्ध रहे। इस सम्बन्ध से यह उल्लेखन य
...के अवैध निर्माण कार्यों की सूचना, जे0ई0 द्वारा अथवा जनता से शिकायत
...आधार पर या अन्य स्रोतो से प्राप्त हुई होगी। अत: उन सूचनाओं
...शिकायतों तथा कार्यवाही की पत्रावली सम्परीक्षा से यात्राओं के औचित्य
...सत्यापनार्थ उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसे आगामी अवसर पर दिखाया
...जाय।

दिनांक	स्थान का नाम जहा अवैध कार्यों की जाच हेतु यात्रा की गई।	यात्रा का किलोमीटर
...10.86	आई0डी0पी0एल0, पशुलोक, स्वर्गआश्रम क्षेत्र (बैंक) ऋषिकेश	86
...11.86	हरिद्वार स्थानीय	32
...11.86	पी0एच0ई0एल0 क्षेत्र. टी0डी0एच हरिद्वार	69
...11.86	रायवाला हरिद्वार	30
...12.86	ऋषिकेश मुनी की रेती	61
...5.12.86	ऋषिकेश, शिवानन्दआश्रम	81
...8.12.86	स्थानीय	38
...9.12.86	स्थानीय	34
25.12.86	स्थानीय इण्डस्ट्रीयल एरिया	34
...7.1.87	बहादराबाद, सीपतवाला, इण्डस्ट्रीयल एरिया	34
...15.1.87	हरिद्वार में श्री पजवानी द्वारा किये गये निर्माण का निरीक्षण	64
...16.1.87	शिकायतों की जाच हेतु हरिद्वार, ज्वालापुर खिड़ी इत्यादि	32
...25.1.87	अवैध निर्माणों की जाच हेतु श्यामपुर दाल वाला (ऋषिकेश)	50

..../13

29.1.87	अवैध निर्माणों की जांच स्थानीय एवं	33
6.2.87	स्थानीय ——"——	18
27.2.87	ज्वालापुर, हरिद्वार	29
2.3.87	स्थानीय	24
4.3.87	अनधिकृत निर्माणों की जांच सीतापुर ग्राम	21

उपरोक्तानुसार ही दिनांक 17.1.87, 18.1.87, 19.1.87 एवं 20.1.87 को सहायक अभियन्ता द्वारा क्षेत्र कैंप तथा हरिद्वार में जांच का कार्य दर्शाया गया था। सहायक अभियन्ता की उक्त तिथियों की स्थल ... जांच से सम्बन्धित आख्या की पत्रावली उपलब्ध भी करायी जाय।

22. विकास शुल्क की अग्राह्य छूट से प्राधिकरण को लाखों की क्षति :-

प्राधिकरण हरिद्वार के अधिकारियों द्वारा, भवनों, भूखण्डों तथा अन्य व्यापारिक, औद्योगिक, संस्थानों का नक्शा स्वीकृत करने के पूर्व (शुद्धीकरण शुल्क) बाह्य विकास शुल्क को लेने का कोई ... आदेश नहीं किया गया था। यह अग्राह्य छूट थी। इससे प्राधिकरण को लाखों की क्षति हुई है। यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से "शासन देश सं० 5748/11-5-86-52 मिस /86 दिनांक 12.8.86 में किये गये प्राविधानों, जो समस्त उत्तर प्रदेश के प्राधिकरणों पर लागू था।" के विपरीत था।

प्राधिकरण ... हरिद्वार में दिनांक 31 मई, 1989 तक कुल 2047 नक्शे पारण हेतु (आये) प्रस्तुत थे। इनमें से 1196 नक्शे स्वीकृत थे। 522 निरस्त, तथा 329 कार्यवाही में अवशिष्ट थे। प्राधिकरण के सक्षम अधिकारियों द्वारा रुचि न लेने के कारण कुल स्वीकृत 1196 नक्शों पर (शुद्धीकरण शुल्क) बाह्य विकास शुल्क की वसूली नहीं हो सकी थी। इस सम्बन्ध में प्राविधिक कार्यवाही कर शासन तथा आगामी समापरीक्षा को अवगत कराया जाय। उदाहरण स्वरूप कुछ मानचित्रों की स्थिति निम्नवत है।

(क) नक्शा पत्रावली सं० 79/87-88 दिनांक 3.6.87, स्वीकृत दिनांक 11.11.87, सेक्रेटरी राम किशन मिशन, कनखल हरिद्वार "आवासीय भवन निर्माण के नक्शे पास करने के पूर्व बाह्य विकास व्यय रुपये 14,179-20 का न लिया जाना :- इस निमित्त उपरोक्त शासनादेश

(12)

1/12

311

... के सम्बन्ध में जाँच समय इस पत्रावली के अवलोकन से प्रकाश ... का कुल प्लाट एरिया 1417-92 ... । इस पत्रावली में वादी और पारण के पूर्व एन-2 पर ... की आख्या दिनांक 28.6.87 के क्रमांक 8 पर उल्लिखित ... विकास शुल्क के वसूली पर सहायक टाउन प्लानर की आख्या ... 26.9.87 द्वारा भी इस क्षेत्रफल पर बाह्य विकास शुल्क की वसूली ... उल्लेख करने के बावजूद भी सचिव द्वारा दिनांक 9.10.87 ... आदेश दिया गया कि " निर्माण कार्य कम्पस के अन्दर है, अतः ... शुल्क देय नहीं होगा । सचिव द्वारा दिनांक 7.11.87 के संस्तुती ... पर बिना बाह्य विकास व्यय वसूली के ही उपाध्यक्ष द्वारा ... वीकृत कर दिया गया था ।

महोदय, आपत्ति के अनुपालन अवगत कराना है कि प्रश्नगत मामला ग्रामीण आबादी का है जहाँ बाह्य विकास शुल्क देय नहीं है। अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

Secretary
H. D. A.

शासनादेश सं0 5748/11-5-86-52 (मिस)/86 दिनांक 12.8.86 ... 2 के पैरा (2) के अनुसार रुपये 50-00 प्रति वर्गमीटर नियत दर से ... नीदस बुक्स के दर से रुपये 10/- प्रतिवर्गमीटर के हिसाब से कुल ... एरिया 1417-92 वर्गमीटर पर कम से कम रुपये 14,179-20 ... विकास व्यय देय होता है । इसकी वसूली शासनादेश के परिपालन में ... विकास प्राधिकरण हित में कराकर जमा से आगामी सम्परीक्षा को ... कराया जाय ।

... पत्रावली - ऋषिकेश/172/87-88 दिनांक 27.4.87, श्री बी0एल0 ... कुमारी गुलशन ग्रोवर, "गंगा आवासीय कालोनी सोमेश्वर नगर ... का अनियमित ढग से "बाह्य विकास व्यय रुपये 4,440-00 वसूल ... ना ही "दिनाक 19.8.87 को मानचित्र स्वीकृत किया जाना :-

... पत्रावली में अवर अभियन्ता की आख्या दिनांक 4.5.87 के क्रमांक ... यह क्षेत्र अविकसित लिखा था, अतः शासनादेश 86 के अनुसार ... सुदृढीकरण शुल्क लेना उचित है । इस आख्या से स्पष्ट था, कि ... की जानकारी प्राधिकरण को थी । अतः शासनादेश के दर से ... व्यय लेना चाहिए था । यदि ऐसा नहीं तो मीनिटस बुक्स के ... प्राधिकरण समिति की बैठक मे न्यूनतम नियत दर से रुपये 15=00 ... मीटर के हिसाब से, " इसके प्लाट एरिया 296 वर्गमीटर ... 4,440-00 की वसूली अवश्य किया जाना चाहिए थी । ... वसूली कराकर जमा का सत्यापन आगामी अवसर पर कराया जाय ।

महोदय, प्राधिकरण बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुपालन में आवेदक से रसीद सं0 10/915 दिनांक 16.6.87 के द्वारा रु0 1480=00 जमा किये गये हैं यह दरें तत्समय प्रभावी के मान्य थी अतः अन्य शुल्क जमा कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। कृपया आपत्ति निरस्त करने का कष्ट करें।

A.E.

Secretary
H. D. A.

..../17

[illegible] मानचित्र स्वीकृत किया जाना :-

[illegible] के केस /172/87-88 दिनांक 27.4.87 स्वीकृत दिनांक [illegible].87 श्री बी0एल0ग्रोवर व कुमारी गुलशन ग्रोवर गंगा आवासीय कालोनी वीरभद्र नगर ऋषिकेश. "कार्मशियल / आवासीय का नक्शा अनियमित ढंग से पास था । पत्रावली के अवलोकन से निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये -

(1) अवर अभियन्ता के आख्या दिनांक 4.5.87 पर सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 8.5.87 के अनुसार यह मानचित्र कामर्शियल कम आवास का था । इसके प्लाट एरिया 296 वर्गमीटर पर रसीद स0010/915 दिनांक 16.6.87 द्वारा रुपये 1,480-00 विकास शुल्क जमा था । इस जमा की पुष्टि कर अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 19.6.87को सचिव के लिये आख्या दी गयी थी, जो सहायक अभियन्ता द्वारा दिनाक 22.6.87 मे प्रतिहस्ताक्षरित थी । सचिव द्वारा दिनांक 23.6.87 को, यह आपत्ति लगायी गयी थी कि " यह भूखण्ड गंगानगर आवासीय कालोनी में है । इसमे आवासीय भूमि शाप (दुकान) निर्माण की अनुमति बगैर शासन की अनुमति के सम्भव नहीं है । प्रार्थी को सूचित करे कि यदि आवासीय मानचित्र दाखिल करें तो प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

उपरोक्त आपत्ति के आधार पर प्राधिकरण के प्रपत्र-34 (मेमो0) द्वारा दिनाक 1.7.87 को नोटिस देने पर, पार्टी द्वारा दिनाक 16.7.87 को "उसी नक्शे को बिना किसी परिवर्तन के, पूर्व दिशा मे प्रदर्शित (दिनाक 27.4.87 को दाखिल नक्शे) में ही शाप (दुकान) के जगह रूम (कमरा) लिखकर)" प्रस्तुत दिखाया गया था। मकान का निकास उत्तर (तरफ) दिशा में था और ये कमरे सड़क के किनारे। इनका प्रवेश द्वारा पूर्व के बजाय मकान के अन्दर से नहीं दिखाया गया था, अतः ये मकान के आन्तरिक संलग्नता से बाहर थे । लिखे अक्षरों पर इंक रीमूवर लगा था । इससे यह स्पष्ट है कि पूर्व अभिमत नक्शे मे ही मिटा कर परिवर्तन किया गया न था, न कि दूसरे परिवर्तित नक्शे सम्मिट किये गये । शेष तीन और नक्शे इस परिवर्तन के अनुरूप नहीं थे । यह एक गम्भीर प्रकरण था । इससे कार्य पद्धति की सत्यता का अभाव प्रदर्शित हो रहा था ।

....../

महोदय,
अवगत कराना है कि [illegible] नगर हेतु महायोजना का प्राविधान अभी [illegible] अंतिम नहीं हो सका है जिस कारण [illegible] भी स्पष्ट [illegible] define नहीं है। आवेदक द्वारा जो भी [illegible] मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है उसी उपयोग के आधार पर मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए जा रहे हैं। इस पर दुकान निर्मित है। अतः यह कोई गंभीर प्रकरण नहीं है। व्यवसायिक मान0 भी ह0वि0प्रा0 द्वारा ही स्वीकृत किए जाते हैं न कि शासन द्वारा। अतः आपत्ति निरस्त योग्य है।
[illegible]
AE

[signature]
Secretary
H. D. A.

312

(11)

1/11

17) -13-

इस दुकाने के कमरे व तथा कथित परिवर्तन नक्शे के कारण सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 27.7.87 के अनुरूप सचिव की कृति आख्या दिनांक 16.8.87 के आधार पर, उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 8.87 को मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया था। यह स्पष्ट था कि नक्शा कृति के बाद पुनः दुकानो का निर्माण हो गया होगा। बिल्डिंग कम्पलीशन सर्टीफीकेट के अभाव मे तथा बिना शासन के अनुमति यह स्वीकृत मानचित्र, स्टेप मानचित्र स्वीकृत है। इस सम्बन्ध मे प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है 2

नक्शा पत्रावली ऋषि केश /262/87-88 दिनाक 28.9.87 स्वीकृत दिनाक 3.88 श्री एस0एस0 चौहान पुत्र श्री जी0एस0 चौहान, हरिद्वार मार्ग केश आवासीय एवं चिकित्सालय का नक्शा अनियमित ढंग से पास था। वली के अवलोकन से निम्नाकित तथ्य प्रकाश मे आये-

§1§ यह मानचित्र पी0 डब्लू0 डी0 के रोड के मध्य से 60 फीट के बाद फीट सेट बैक छोड़कर नही था।

§ पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि दिनांक 5.10.87 को उपरोक्त सम्बन्धित प्रकरण पर अवर अभियन्ता के आख्या पर दिनाक 8.10.87 सहायक नगर नियोजक द्वारा सचिव को दिये गये आख्या पर सचिव द्वारा 10.87 को आपत्ति को भवन मालिक को आपत्ति सूचित करने की कृति के बाद पुनः सहायक नगर नियोजक द्वारा दिनाक 18.12.87 को यक को निदेश था कि, आपत्ति सूचित कर दी जाय। माह अक्टूबर87 स्वीकृति के बाद तत्काल आपत्ति सूचित कर निस्तारण किया जाना हिए था, परन्तु अनावश्यक रुप से बिलम्ब कर दो माह बाद नोटिस दिया । इस पर भवन मालिक द्वारा कोई अपील या सुधार की कार्यवाही की गयी थी। इसके लगभग 3 माह बाद दूसरे अवर अभियन्ता द्वारा क 14.3.88 को यह आख्या दी गयी, कि पी0 डब्लू0डी0रोड के 4 फीट का सेट बैक पार्टी छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। आख्या के अनुसार सहायक नगर नियोजन अधिकारियों द्वारा दिनांक 3.88 को सचिव को सम्बोधित कर यह आख्या दी गयी, कि " पक्ष आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है। कृपया विकास व्यय रुपये 00-00 जमा करवाने हेतु अनुमोदित करने का कष्ट करें।" आख्या को आधार मानकर दिनांक 21.3.88 में सचिव द्वारा उपाध्यक्ष आख्या दी गयी, कि " कृपया पूर्व पृष्ठ पर जे0ई0 की रिपोर्ट दिनांक 3.88 का अवलोकन करें। इसमें रोड बाईडींग के बाद 4 फीट का सेट छोड़ना उचित नहीं है। अन्य सभी मानचित्रों के स्वीकृति पत्रावली के र सेट बैंक छुड़वाया जाता है। फ्रण्ड सेट बैंक में मेरे विचार से छूट देना नहीं है।"

महोदय,
PWD द्वारा सड़क के मध्य बिन्दु से 60' की छूट के पश्चात निर्माण की अनुमति दी गयी थी तदनुसार ही मानचित्र स्वीकृत किया गया। अतः आपत्ति निराधार है।

AE

Secretary
H. D. A.

सेट बैक की कोई छूट नही दी गयी है।

AE

Secretary
H. D. A.

....

इस आख्या को नकारते हुए दिनांक 16.3.88 को सहायक [illegible] नियोजक के आख्या को मानते हुए दिनांक 22.3.88 को रोक के [illegible] की हुए देकर विकास शुल्क जमा कराकर नक्शा पारीत करने की अपेक्षा [illegible] की गयी । स०नगर नियोजक की आख्या पर दिनांक 28.3.88 को नक्शा सचिव के आपत्तियों को नजरन्दाज कर पास [illegible] कर दी गयी। प्राधिकरण द्वारा अपनाये गये एक मानक तथा शासनादेशों का उल्लंघन कर, इस प्रकार पारण पूर्णत्या, त्रुटिपूर्ण था । इस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

24. शमन शुल्क रूपये 13,386-00 के जगह मात्र रूपये 2,819-00 जमा कराकर करने मानचित्र स्वीकृति/से रूपये 2,582-57 ब्याज की क्षति :

नक्शा पत्रावली सं० 28/86-87 दिनांक 15.12.86 मानचित्र स्वीकृत दिनांक 19.6.87 श्री धीरज सिंह प्लाट न0 126 ए नया हरिद्वार से कुल आरोपित शमन शुल्क रू0 13,386-00 में से मात्र रू02,819-00 दिनांक 19.5.87 को प्राप्त कर, अवशिष्ट धनराशि रूपये 10,567- के बावजूद भी नक्सा अनियमित ढंग से स्वीकृत कर दिया गया था। इस प्रकार के अनियमितता के फलस्वरूप ब्याज स्वरूप रूपये 2,582-57 की क्षति हुई थी । इसके सत्यापन समय प्रकाश में आया कि निम्न प्रक्रिया अपना कर यह क्षति की गयी थी । इसकी वसूली जिम्मेदार व्यक्ति से करायी जाय ।

(1) शासनादेश स0 5748/11-5-86-52 मिस /86 दिनांक 12.8.86 के भू-उपभोग परिवर्तन शुल्क के क्रमांक (2) के द्वितीय पैरा के अनुसार

" भू स्वामी भवन चित्र पास कराने के पूर्व नियमानुसार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विकास शुल्क एक मुस्त जमा करेगें । इसका अनुपालन न कर कुल आरोपितशमन शुल्क रूपये 13,386-00 में से रू010,567-00 बकाया होने के बावजूद भी यह नक्शा दिनांक 19.6.87 को स्वीकृत कर दिया गया था । और भू-स्वामी को भवन निर्माण की अनुमति दे दी गयी थी । यह पद्धति उपरोक्त शासनादेश तथासमस्त प्राधिकरणों में लागू व्यवस्था के विपरित जाकर कार्य सम्पादन का द्योतक है।

(11) सचिव के आदेश दिनांक 21.5.87 द्वारा अवशिष्ट शमन शुल्क प्रथम पार्टी को त्रैमासिक किस्तों में जमा करने का अनुदेश था । इसका उलंघन कर प्रथम पेक्ष धन समय से न जमा कर रसीद स042/4109

.../19

(313)

(10)

1/10

-2- (9)

11.5.89 को रुपये 5,000-00 द्वितीय किस्त के रूप में जमा किया । जबकि दिनांक 18.6.88 तक रुपये 1,268-04 जमा करना था के बाद तक रुपये 2,582-57 व्याज देय था । इसको काटने के व्याज को शमन शुल्क से घटाया जाना चाहिए था । इस ओर ध्यान तथा त्रैमासिक किस्त समय से जमा न करने एवं पर्याप्त समय हो जाने के बाद भी सम्परीक्षा समाप्ति समय तक पूर्ण धन तथा इस व्याज जमा न होने के फलस्वरूप नक्शा पारण का औचित्य समाप्त था । उचित कार्यवाही कर आगामी सम्परीक्षा को अवगत कराया

महोदय, आपत्ति के अनुपालन में अवगत कराना है कि पार्टी द्वारा सम्बन्धित राशि ब्याज सहित जमा करा दी गई है। भविष्य के लिए ध्यान रखा जायेगा।

Secretary
H. D. A.

सबडिविजन शुल्क का कम लिया जाना रुपये 125-00:- नक्शा पत्रावली 454/85/आर दिनांक 5.1.86, स्वीकृत दिनांक 9.2.87 श्री लक्ष्मी नारायण भाटिया पुत्र श्री कानूराम भाटिया खन्नानगर, ज्वालापुर की के समय प्रकाश में आया कि प्लाट न0191ए पर दिनांक 12.2.87 अवर अभियन्ता श्री मानचन्द द्वारा रुपये 250-00 सब डिविजन निर्धारित किया गया था । इस पर सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक .2.87 को, सचिव को स्वीकृत हेतु लिखने के उपरान्त, सचिव द्वारा दिनांक 16.2.87 को यह उल्लेख कर कि इस प्लाट के दो भाग हुए है । पार्टी से मात्र आधा अर्थात रुपये 125/- सबडिविजन शुल्क लिया जाय । यह धन रसीद सं03/281 दिनाक 16.2.87 द्वारा विकास प्राधिकरण में जमा हो गया था । नियमानुसार जैसा कि अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा नियमो के परिपेक्ष में आख्या दी गयी थी । रुपये 250/- प्रति प्लाट सबडिविजन शुल्क होना चाहिए । रुपये 250/- कम सब डिविजन शुल्क लगाने का कोई प्राविधान भी नहीं था । इस प्रकार प्राधिकरण कोष को रुपये 125/- की प्रत्यक्षः क्षति उठानी पड़ी । इसकी प्रतिपूर्ति जिम्मेदार से कराकर, आगामी अवसर पर दिखाया जाय ।

चेक संख्या 11742 दिनाक 25.1.88 द्वारा रुपये 16,250-00

मैसर्स सरस्वती सप्लाई एजेन्सी को पजिकरण पुस्तिका छपाई का भुगतान

अपव्यय उपरोक्त फर्म को किये गये भुगतानों, तथा कुल छपे पंजिकरण पुस्तिकाओं आवश्यकता का सम्यक सत्यापन करते समय प्रकाश मे आया कि, इस भुगतान के पूर्व चेक सं059779 दिनाक 2.11.87 द्वारा रुपये 16,250/- मैसर्स सरस्वती सप्लाई एजेन्सी ज्वालापुर को उसके बिल सं0281 दिनांक 24.10087 के आधार पर तथा भण्डार पंजी पृष्ठ संख्या 2 पर प्रविष्टि दिनांक 24.10.87 को 2500 पजीकरण पुस्तिका (शिवलोक आवासीय योजना हरिद्वार के पुस्तिका) की छपाई का भुगतान किया गया था ।

... /2

शिवलोक योजना 5 हेतु पंजीकरण पुस्तिका ल. 2500/- छपवाई गयी थी, प्रथम तीन दिन में सभी पुस्तकों की बिक्री हो गयी थी। अतः उपयोगिता देखकर तत्काल ही 2500 पुस्तिका और छपवाई गयी थी। अगले सप्ताह की पुस्तकों की बिक्री काफी कम हुई [illegible] पुस्तकें बची। उस समय की स्थिति को ध्यान में रखकर उक्त व्यय को औचित्यपूर्ण मानते हुए आपत्ति निरस्त करने का कष्ट करें।

-2- (19)

...11.5.89 को रुपये 5,000-00 द्वितीय किस्त के रूप में जमा किया था। जबकि दिनांक 18.6.88 तक रुपये 1,268-04 जमा करना था ...जमा के बाद तक रुपये 2,582-57 ब्याज देय था। इसको काटने के ...अवशेष को शमन शुल्क से घटाया जाना चाहिए था। इस ओर ध्यान ...तथा त्रैमासिक किस्त समय से जमा न करने एवं पर्याप्त समय ...त हो जाने के बाद भी सम्परीक्षा समाप्ति समय तक पूर्ण धन तथा इस ...देय ब्याज जमा न होने के फलस्वरूप नक्शा पारण का औचित्य समाप्त ...गया था। उचित कार्यवाही कर आगामी सम्परीक्षा को अवगत कराया ...।

महोदय,
आपत्ति के अनुपालन में अवगत कराना है कि पार्टी द्वारा सम्बन्धित धनराशि ब्याज सहित जमा करा दी गई है। भविष्य के लिए ध्यान रखा जायेगा।

Secretary
H. D. A.

सबडिविजन शुल्क का कम लिया जाना रुपये 125-00:- नक्शा पत्रावली ...ा 454/85/आर दिनांक 5.1.86, स्वीकृत दिनांक 9.2.87 श्री लक्ष्मी ...रायण भाटिया पुत्र श्री कानूराम भाटिया खन्नानगर, ज्वालापुर की ... के समय प्रकाश में आया कि प्लाट न0191ए पर दिनांक 12.2.87 ...अवर अभियन्ता श्री मानचन्द द्वारा रुपये 250-00 सब डिविजन ...क निर्धारित किया गया था। इस पर सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक ....2.87 को, सचिव को स्वीकृत हेतु लिखने के उपरान्त, सचिव द्वारा ...दिनांक 16.2.87 को यह उल्लेख कर कि इस प्लाट के दो भाग हुए है। ...: पार्टी से मात्र आधा अर्थात रुपये 125/- सबडिविजन शुल्क लिया ...जाय। यह धन रसीद सं03/281 दिनांक 16.2.87 द्वारा विकास ...प्राधिकरण में जमा हो गया था। नियमानुसार जैसा कि अवर अभियन्ता, ...सहायक अभियन्ता द्वारा नियमों के परिपेक्ष में आख्या दी गयी थी। (रुपये 250/- प्रति प्लाट सबडिविजन शुल्क होना चाहिए। रुपये 250/- ...कम सब डिविजन शुल्क लगाने का कोई प्राविधान भी नहीं था। इस प्रकार ...प्राधिकरण कोष को रुपये 125/- की प्रत्यक्ष: क्षति उठानी पड़ी। इसकी ...क्षतिपूर्ति जिम्मेवार से कराकर, आगामी अवसर पर दिखाया जाय।

... चेक संख्या 11742 दिनांक 25.1.88 द्वारा रुपये 16,250-00

मैसर्स सरस्वती सप्लाई एजेन्सी को पजिकरण पुस्तिका छपाई का भुगतान

...अपव्यय उपरोक्त फर्म को किये गये भुगतानों, तथा कुल छपे पंजिकरण पुस्तिकाओं ...आवश्यकता का सम्यक सत्यापन करते समय प्रकाश में आया कि, इस ...भुगतान के पूर्व चेक सं059779 दिनांक 2.11.87 द्वारा रुपये 16,250/- ...मैसर्स सरस्वती सप्लाई एजेन्सी ज्वालापुर को उसके बिल सं0281 ...दिनांक 24.10087 के आधार पर तथा भण्डार पंजी पृष्ठ संख्या 2 पर ...प्रविष्टि दिनांक 24.10.87 को 2500 पजीकरण पुस्तिका (शिवलोक ...आवासीय योजना हरिद्वार के पुस्तिका) की छपाई का भुगतान किया गया था।

... /21

शिवलोक योजना 5 हेतु पंजीकरण पुस्तिका रु. 2500/- छपवाई गयी थी। प्रथम तीन दिन में सभी पुस्तकों की बिक्री हो गयी थी। अतः इस परिस्थिति को देखकर तत्काल ही 2500 पुस्तकें और छपवाई गयी थी। अगले सप्ताह को पुस्तकों की बिक्री काफी कम हुई। जिस कारण पुस्तकें बच गयी। उस समय की स्थिति को ध्यान में रखकर उक्त व्यय को औचित्यपूर्ण मानते हुए कृपया आपत्ति निरस्त करने का कष्ट करें।

Scanned with CamScanner

व समस्त पुस्तिकायें भण्डार पजी के पृष्ठ संख्या 2 के अनुसार दिनांक 26.10.87 से 15.11.87 तक पंजाब नेशनल बैंक मयापुर हरिद्वार द्वारा प्रति रुपये 15=00 के दर से विक्रित हो चुकी थी । कोई पुस्तिका ... वापस नहीं थी ।

इसकेबाद पुनः उसी दर पर उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरणहरिद्वार की स्वीकृति दिनांक 31.10.87 पत्रावली के पृ0सं010 पत्र सं0 नियोजन-1/नियो0-5/87 के अनुसार शिव लोक आवासीय योजना पंजीकरण पुस्तिका कुल 2500. सरस्वती सप्लाई एजेन्सी ज्वालापुर से, उसके बिल सं0 305 दिनांक 15.11.87 के द्वारा छपवाई गयी थी । इसकी प्रविष्टि भण्डार पंजी के पृष्ठ सं0 2 पर दिनांक 15.11.87 में थी । इस छपाई का भुगतान चेक सं0 11742 दिनांक 25.1.88 द्वारा रुपये 16,250-00इस फर्म को किया गया था ।

भण्डार पजी से तथा कार्यालय में अनुरक्षित पुस्तिकाओं से स्पष्ट हुआ कि 2500 पुस्तको में से कोई विक्रित या वितरीत नहीं था । अतः स्पष्ट था कि इन पुस्तको की कोई आवश्यकता नहीं थी । यह प्राधि-करण का धन जान बूझ कर अपव्यय करने का द्योतक था । इस क्षति की प्रतिपूर्ति जिम्मेवार अधिकारी/कर्मचारी से करायी जाय।

27. चेक सं0 11741 दिनांक 25.1.88 द्वारा रुपये 9,375-00 मेसर्स सरस्वती सप्लाई एजेन्सी को नियमावली छपाई का भुगतान अपव्यय :-

उपरोक्त फर्म को नियमावली छपाई हेतु किये गये भुगतानों तथा कुल छपे नियमावलियों के आवश्यकता का सम्यक सत्यापन करते समय प्रकाश में आया कि, इस भुगतान से पूर्व क्रमशः चेक सं059755 दिनांक 5.10.87 द्वारा प्राधिकरण के आदेश संख्या 226/87 से मेसर्स सरस्वती सप्लाई एजेन्सी ज्वालापुर को उसके बिल सं0 202 दिनांक 3.9.87 द्वारा 2500 नियमावली छपाई का रुपये 9,375/- तथा चेक सं0 00608 दिनांक 5.12.87 द्वारा आदेश दिनांक 11.9.87 से इसी फर्म को इसके बिल संख्या 278 दिनांक 18.10.87 द्वारा पुनः 2500 नियमावली छपाई का रुपये 9,375/- का भुगतान किया गया था । इस प्रकार कुल 5000 नियमावलियों के छपाई हेतु रुपये 18,750-00 का भुगतान चेक सं0 11741 ... के पूर्व किया जा चुका था । इस नियमावलीयों में से, "पंजीकरण पुस्तिकाओं के साथ ही पंजाब नेशनल बैंक मायापुर द्वारा दिनांक 26.11.87 से 13.11.87 तक 4100 नियमावलियें वितरित की गयी थीं । जैसा कि भण्डार पंजी के पृष्ठ सं0 4 पर अंकित था । इसमें से 900 नियमावलियां शेष थी, जो आवश्यकतानुसार प्रर्याप्त थी ।

....../

अर्द्धपद

शिवलोक पंजीकरण पुस्तिका के साथ ही नियमावली दी जानी थी अतः इसे पुस्तिका छपवाना अनिवार्य था ... औचित्य पूर्ण कारण कृपया आपत्ति निरस्त ...

(9) (3)

--(21)

प्राधिकरण कार्यालय में 900 नियमावलियाँ उपलब्ध रहने के
भी मेसर्स सरस्वती सप्लाई एजेन्सी ज्वालापुर को आदेश दिनांक
.87 से 2500 नियमावलियो बिल सं0 301 दिनांक 15.11.87
भुगतान चेक सं0 11741 दिनांक 25.1.88 द्वारा रुपये 9,375/-
भुगतान किया गया था। इसकी प्रविष्टी भण्डार पंजी के पृ0सं0 4
थी। सम्परीक्षा समयतक कुल 3400 नियमावलियाँ अवितरीत पड़ी
छपाई पर अनावश्यक रूप से धन का अपव्यय किया गया था।
प्रतिपूर्ति कराकर आगामी अवसर पर दिखाया जाय।

निर्माण पर व्यय रुपये 1,17,032-03 का अभिलेख न दिखाया जाना :-

ब्लोक आवासीय योजना टीबड़ी हरिद्वार के निर्माण पर वर्ष 1987-88
य रुपये 1,17,032-03 से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली, कार्य के पूर्व
त पत्रावली, भुगतान बिल, एम0बी0 जे0ई0 का स्टाक बुक, मजदूरो का
रोल, तथा अधिकारियो का निरीक्षण आख्या की पत्रावली बार-2
किये जाने के बावजूद भी नहीं दिखाई गयी। अतः इससे सम्भावना थी,
किसी त्रुटि या अपव्यय को प्रकाश मे आने न देने के उद्देश्य से अभिलेख
दिखाये गये। इस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही तथा आन्तरिक जांच
गामी सम्परीक्षा को परिणाम से लिखित सूचित किया जाय।

महायोजना :- वर्ष 1987-88 में महायोजना मुद्रण पर रुपये 13,875-00
था। इस मद का अलग से लेखा तथा बैंक खाता नहीं रखा गया था।
इसके साथ ही, प्राधिकरण क्षेत्रो का पैमाइस तथा परिमापन इत्यादि
कार्यों को इसमे संयुक्त कर, अलग से इसकी रोकड़ बही तथा बैंक खाता
अभिलेख रखाजाना चाहिए था। इसके अभाव मे समस्त स्वीकृत योजनाओं
प्रगति एवं उसके वित्तीय स्थिति का विवरण बाहय परिगणना
नुसार तैयार किया जाना सम्भव नही हो सका।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973
ध्याय 3 तथा 4 के अनुसार प्रत्येक प्राधिकरण के लिये एक महायोजना
की जानी थी तथा परिक्षेत्रो हेतु परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार
जानी थी। इन योजनाओ की सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति,
समयानुकूल, एवं योजना वद्धरूप से कार्यान्वयन किया जाना था।
सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन
जाने के सत्यापनार्थ अभिलेख सहित आशय का प्रमाण पत्र आगामी
रीक्षा- समय लिखित उपलब्ध कराया जाय।

Scanned with CamScanner

30. तदर्थीकरण का अमान्य भुगतान :- सम्परीक्षा समय प्रकाश मे आया कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत निम्न राजकीय अधिकारी/कर्मचारी को तदर्थीकरण की सुविधा प्रदान कर भुगतान किया गया था। इस अनियमित भुगतान के लिए शासनादेश सं0-जी-1-151/दस-201-82 दिनांक लखनऊ 23 मार्च 1982 उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के अनुसार अतिरिक्त भुगतान (मूलवेतन + प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं अन्य अदेय भत्तो) की वापसी करायी जाय तथा उन्हे इसकी प्राप्ति उनके मूल लेखा (पैत्रिक) विभाग से करने को निर्देशित किया जाय।

क्रमांक चेक सं0/दिनांक	भुगतान धनराशि	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पद	भुगतान की विवरण
1. 58337-15-5-87	1550-50	श्री आर. एन. उपाध्याय	सचिव	दिनांक 16.4.87 से 30.4.87 तक अवधि का 710-00, 125-00, 540-00 -180=50 शून्य= 1550-50
2. 11755-2-2-88	1756-50	श्री राजेन्द्र प्रकाश गुप्ता,	नायब तहसीलदार	720-00-144-00, 560-00, 230-50, 108-00 =1756-50

31. स्टील आलमारियों के क्रय में गम्भीर अनियमिततायें :- निम्नांकित विवरण के अनुसार मेसर्स अशोक स्टील एव मै0 त्रिशूल ट्रेडिंग कम्पनी से स्टील आलमारियों, रैक एवं सेफ का क्रय किया गया था। इसके क्रय हेतु तीन स्थानीय फर्मों से कोटेशन प्राप्त दिखाये गये है। क्रय के आधार पर फर्म को रुपये 9,900-00 एव रुपये 6,911-34 का भुगतान किया गया था।

क्रमांक चेक सं0 दिनांक	आलमारी/रैक/सेफ की सं0		मूल प्रति नग	साइज
1.056526 /7.10.86	स्टील आलमीरा	1	1350/-	फुल साइज
	--"--	1	1300/-	--"--
	--"--	1	1050/-	मीडियम
	--"--	1	1000/-	अज्ञात
	स्टील रैक	5	840/-	78 इंच
2.056537/21.10.86	सेफ	1	6911-34	27 इंच

....24

...रान एव बिल, जिसके आधार पर भुगतान किया, में यह
...टि स्टील आलमारियो एव रैक, कितने गेज की खरीदी
...प्रकार रैक का परिमाप भी नहीं था । मैसर्स अशोक स्टील
...मूल्य मे बिक्रीकर इत्यादि का उल्लेख नही था लेकिन सम्परीक्षा
...टि स्टील आलमारी एव रैक के मूल्य में बिक्रीकर सम्मिलित था
...है कि प्राधिकरण द्वारा फोर्म 3 डी के विरूद्ध बिक्रीकर मे छूट
...गयी थी जिससे प्राधिकरण को वित्तीय हानि हुई थी ।
...कोटेशन मुहर बन्द नही थे तथा किसी भी फर्म को कोटेशन
...भी नही किया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि कोटेशन
...स्त्रोत से प्राप्त किये गये थे । अतः बाजार की तुलनात्मक दरो
...प्राप्त नहीं हुआ था । इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराते हुए
...के भैज को सूचित किया जाय । यह भी सत्यापित कराया जाय
...के मूल्य भुगतान शासन से स्वीकृत प्राइज रेट्स से ही किया गया

...जिप्सी यू0जी0एक्स 4533 का अनुमति बगैर. उपयोग तथा यात्राओ

...अज्ञात :- प्राधिकरण द्वारा मारूती जिप्सी स0 यू0जी0
...स0 4533 दिनाक 6.10.86 को मैसर्स प्यारे लाल एण्ड सन्स लि0
...की गई थी । सम्परीक्षा मे प्रस्तुत लागबुक के अनुसार, इसी
...श्री रामचन्द अवर अभियन्ता द्वारा मेरठ से गाजियाबाद की
...गाजियाबाद लोकल में 130 कि0मीटर ट्रायल लिखा गयाथा ।
...7.10.86 को गाजियाबाद से दिल्ली की यात्रा उपाध्यक्ष से दिल्ली
...हेतु की गई थी । ये यात्राये औचित्यपूर्ण नहीं थी । ट्रायल के लिये
...गाजियाबाद जाने का भी कोई औचित्य नहीं था । अवर अभियन्ता
...विभागीय गाड़ी के उपयोग हेतु प्राधिकृत नहीं होते । अतः इन
...का औचित्य स्पष्ट किया जाय । दिल्ली मे उपाध्यक्ष से सम्पर्क करने
...ति भी स्पष्ट की जाय ।

...ीय वाहन/स्टाफ कार के उपयोग के सम्बन्ध मे शासनादेश स0 2400/
...1979 दिनाक 20 जुलाई 1979 में यह निर्देश है कि कोई अधिकारी
...र से उन क्षेत्रो का दौरा नही करेगा जहा के लिये रेल द्वारा यात्रा
... । अनिवार्य परिस्थितियों में नियत्रण अधिकारी की लिखित पूर्व
... यात्रा की जा सकती है ।

...परिवहन विभाग के शासनादेश स0 6050 टी/तीस-4-जे0पी0/77
... मई 1981 में स्पष्ट किया गया था कि अधिकारी शासकीय
...लिये 8 किमी0 की परिधि में या नगरपालिका क्षेत्र के भीतर
... हो, स्टाफ कार का प्रयोग कर सकते है ।

/..

Scanned with CamScanner

निम्नांकित यात्रायें प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तथा अधिकारी की बिना पूर्व स्वीकृति की की गई, जिस पर होने वाला व्यय भार सम्परीक्षा में मान्य नहीं था।

उदाहरणार्थ-

दिनांक	यात्रा कहां से कहां तक	कि0मी0	यात्रा का प्रयोजन	यात्रा कर्ता का नाम/पद
19.10.86	हरिद्वार से देहरादून	115	प्राधिकरण सचिव से बाइलाल के सम्बन्ध में	सचिव
25.10.86	हरिद्वार से मंसूरी	213	लोकल तथा वापस विशेष सचिव नगर विकास विभाग के साथ	सचिव [illegible]
8.11.86	हरिद्वार से नरेन्द्रनगर टीरही	120	जिलाधिकारी से सचिव वार्ता हेतु।	सचिव
20.11.86	हरिद्वार से दिल्ली	319	विभागीय कार्य (हुडको)	उपाध्यक्ष
21.11.86 से 24.11.86 तक	दिल्ली से स्थानीय	111	कान्फ्रेन्स में भाग	उपाध्यक्ष
25.11.86	हरिद्वार	306	वापस हेतु	
23.12.86	हरिद्वार से सहारनपुर	173	आरटीओ, आफिस	अवर अभियन्ता
29.12.86	हरि0 से सहारनपुर	168	परगनाधिकारी से वार्ता हेतु	सचिव
31.1.87	हरिद्वार से नई दिल्ली	282	अहमदा में पी0 सी0 के ट्रेनिंग पर जाने हेतु पूर्व रीजर्वेशन	सचिव
4.1.87	दिल्ली से दिल्ली	140	स्थानीय रन अज्ञात	अवर अभियन्ता
5.1.87	दिल्ली से हरिद्वार	248	मुख्यालय वापस	--"--
7.1.87	हरिद्वार से लोकल	84	स्थानीय निरीक्षण	ए0ई0
8.1.87	हरिद्वार से मेरठ दिल्ली	278	सी0पी0आर0आई0 आफिसर के साथ	ए0ई0
9.1.87	दिल्ली से हरिद्वार	288	मुख्यालय वापस	ए0ई0
12.1.87	हरिद्वार से दिल्ली एवं दिल्ली में स्थानीय रन	366	विभागीय कार्य / वाहन ड्राइवर द्वारा दिल्ली ले जाया गया।	अज्ञात

..../26

(7) (316)

(25) ✓

...ली स्थानीय ...र्की, रूड़की एवं हरिद्वार	296	हुडको/सी०पी०आर० और योजना	उपाध्यक्ष
हरिद्वार से देहरादून	132	अराम्भव विभागीय कार्य	—तदैव—
हरिद्वार मे स्थानीय	76	अभियन्ताओ द्वारा जांच कार्य	ए०ई०
हरिद्वार से दिल्ली दिल्ली में स्थानीय रन तथा हरिद्वार वापस	484	हुडको मे योजना प्रेषण एव वार्ता हेतु	ए०ई० सचिव
हरिद्वार से देहरादून	119	वि०प्रा० से नियमावली की प्रति प्राप्त करने हेतु	
...लखनऊ स्थानीय रन	94	विभागीय कार्य	—"—
—"—	56	—"—	—"—
...से लखनऊ में स्था० रन तथा हरिद्वार वापस	524	—"—	—"—

उपर्युक्त के अतिरिक्त विभिन्न तिथियो में रूड़की सहारनपुर, एवं ...आदि की यात्राये सचिव, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ताओं ...की गई थी, जिनके सम्बन्ध में कोई स्वीकृति नही थी । यह उचित ...ा।

उपरोक्त कार्य हेतु बाहन के प्रयोग सम्बन्धित स्थलीय जांच तथा ...पुष्टि सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये । । इससे ...प्राधिकरण हित में उचित ठहरा पाना सम्भव न हो सका ।

...स्वीकृति के अभाव मे रूपये 3,518–75 का व्यय अमान्य :– सम्बन्धित ...के अवलोकन से विदित हुआ कि सक्षम अधिकारी से बिना क्रय के ...स्वीकृति लिये ही सचिव के अनुदेशानुसार चेक सं० 11738 दि० 23.1.88 ...रूपये 3,518–75 मैसर्स नानकानी जूट हाउस हरिद्वार को सामग्री क्रय ...भुगतान किया गया था । जबकि कम से कम उपाध्यक्ष की स्वीकृति ...क थी । फर्म के बिल के अनुसार सचिव के आदेश दिनाक 4.1.88 ...5 जूट मैटिंग, बिल में उल्लिखित परिमाप के अनुसार, क्रमशः रूपये 5–000, 657/–, 630/–, 630/–, 468–75 का तथा 4 डोर मैटिंग ...440–00 का, कुल रूपये 3518–75 का क्रय, किया गया था । बिना ...स्वीकृति के इस क्रय का भुगतान विकास प्राधिकरण निधि से उचित ..., "सम्परीक्षा द्वारा" ठहराया जाना, सम्भव न हो सका ।

...../27

महोदय

तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रु 10,000/- तक के क्रय की वित्तीय स्वीकृति का अधिकार सचिव महोदय को प्रदान कर रखा था। अतः पत्रावली पर उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति की [illegible] आवश्यकता नहीं होती थी। कृपया सहमत हों तो आपत्ति निरस्त करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति ली गई थी।

[signature]

Scanned with CamScanner

-26-

उपरोक्त के ही प्रकार प्राधिकरण निधि से बिना पूर्व स्वीकृति के किया गया निम्नमदों के उल्लिखित व्यय पूर्णतया अमान्य थे। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर आगामी अवसर पर पुष्टि कराई जाय।

क्रमांक	व्यय का मद	वर्ष 1987-88 में व्यय धन
1.	कार्यालय भवन अनुरक्षण	10,930-78
2.	विज्ञापन व्यय	33,765-87
3.	स्टेशनरी व प्रिंटिंग व्यय	28,450-75
4.	फर्नीचर व्यय	25,182-80
5.	बिजली उपकरण क्रय	4,324-54
6.	कार्यालय विद्युत व्यय	3,175-80

3- शासन के स्वीकृति के बिना ही सेवायोजित रखकर, वेतनादि का भुगतान :- सहायक नगर नियोजक का पद केन्द्रिय होता है, जो आयोग के परिधि में आता है। इस पद पर प्राधिकरण हरिद्वार में श्री सतीश चन्द्र गौड़ की प्रथम नियुक्ति शासनादेश सं0 (उत्तर प्रदेश नगर विकास अनुभाग 4) 2332/11-4-वि0-प्रा0-87-107 डी0ए0/87 लखनऊ दिनाक 27 जुलाई 1987 के स्तम्भ 1 के अनुसार " कार्य भार ग्रहण तिथि से एक वर्ष तक के लिये या लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन तक जो भी पहले हों, तदर्थ रूप से की गयी थी।

यह नियुक्ति तदर्थ आधार पर सीधी भर्ती द्वारा जगह भरने के लिये, " दिनांक 4 जुलाई 1987 को किये गये चयन" के आधार पर, " राज्यपाल महोदय के संलग्नक सूची मे प्रदर्शित कर, "वेतनमान रूपये 850-40-1050-द0रो0-50-1300-60-1420-द0रो0-60-1720 मे की गयी थी यह भी शर्त था कि " सम्बन्धित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

शासनादेश के अनुपालन में श्री गौड़ ने उपरोक्त वेतनमान मे सहायक नगर नियोजक पद पर विकास प्राधिकरण हरिद्वार में दिनांक 11.8.87 को पूर्वान्ह में कार्य भार ग्रहण किया।

नियमानुसार लोक सेवा आयोग से कोई चयनित अभ्यर्थी न आने की दशा में तथा तदर्थ सेवा का समय निर्धारित होने के कारण इनकी सेवाये दिनाक 10.8.88 को एक वर्ष हो चुकी थी। अतः इन्हे इसके पूर्व बाद शासन के स्तर से पुनः समय बढ़ाने के आदेश बगैर दिनाक 10.8.88 के बाद सेवा में भर्ती बनाये रखकर वेतन का भुगतान, " पूर्णतया अनियमित एवं अमान्य था।

-27- /..

1/6

सम्बन्ध में सचिव विकास प्राधिकरण हरिद्वार ने " पत्रांक 2652/ ...2/87 दिनांक 25.8.88 द्वारा " उपरोक्त शासनादेश के ... के अनुसार " श्री गौड़ की सेवायें दिनांक 10.8.88 को समाप्त हो ... की सूचना श्री गौड़ को देते हुए, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ...र को सूचित किया था । उपाध्यक्ष द्वारा इसे अनुमोदित कर तत्काल ... कार्यवाही, या आदेश किया गया होता, श्री गौड़ की सेवायें ...रीक्षा समय तक निरन्तर बने रहने के बजाय, दिनांक 10.8.88 को ...प्त हो गयी होती । ऐसा न करने से प्राधिकरण निधि पर अधिष्ठान ...ग में इनके वेतन का अनानुमोदित एवं अमान्य व्यय भार नहीं पड़ता। ...ा है।

शासन स्तर से सेवाओं के निरन्तरता हेतु कोई आदेश नहीं प्राप्त ...ा था । इस निर्मित वरिष्ठ लेखा परीक्षक के अधियाचन सं098 ...दिनांक 25.4.89 द्वारा विहित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के ...बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना उचित नही था । अतः इस ...अनियमितता के दोषी अधिकारी से औचित्य स्पष्ट करते हुए उपरोक्त ...सम्बन्ध में उचित कार्यवाही किया जाय । अनाधिकृत एवं अमान्य व्यय की ...प्रतिपूर्ति ... जिम्मेवार से कराकर प्राधिकरण कोष में जमा कराया ...जाय ।

7. श्री सुशील कुमार जोशी, कनिष्ठ लिपिक का अनियमित वेतन

निर्धारण :- इनके सेवा पुस्तिका में तथा व्यैतिक पत्रावली के अवलोकन से ...ज्ञात हुआ कि श्री जोशी की प्रथम नियुक्ति विनियमित क्षेत्र हरिद्वार में ...ष्ठ लिपिक पद पर दिनांक 14.7.83 को वेतन मान रुपये 354-00-550-00 मे मेरठ मण्डल के आयुक्त के आदेश सं0 1139/28-59/80-82 दिनांक 28.6.83 के अनुपालन मे, "रेजिडेण्ट मजिस्ट्रेट/नियअधिकारी विनियमित क्षेत्र हरिद्वार के आदेश पत्र सं0 1102/म0मे0/नियुक्ति/...दिनांक 8.7.83 द्वारा हुई थी ।

शासनादेश सं0 1467/37-3-86-23 एन0के0बी0/82 दिनांक 23.4.86 के अनुपालन में इनकी सेवाये, सेवाये विनियमित क्षेत्र में निरन्तर 28 फरवरी 1987 तक बनी रही । शासनादेश सं0 2371/11-4-वि0प्रा086-114 डी0ए0/86 नगर विकास अनुभाग 4 दिनांक 15 जनवरी 1987 द्वारा विनियमित क्षेत्र समाप्त होने तथा हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार का गठन होने के फलस्वरूप इनकी सेवायें विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ लिपिक पद पर वेतन रुपये 340-550 में समायोजित हुई थी । श्री जोशी

.....

आपत्ति का निराकरण

शासनादेश संख्या - 1388/11-4-डी0ए0/87-114 डी0ए0/86 दिनांक 16-7-87 द्वारा ... मेरा वेतनमान सेवा पुस्तिका पृष्ठ-7 के आधार पर 390 निर्धारित किया गया । क्योंकि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वेतन निर्धारण वेतन मान 340-550 में रु0 384 अथवा उसके ऊपर प्रक्रम पर निर्धारित किया जाए, ताकि पूर्व में प्राप्त हो रही धनराशि से कम वेतन न प्राप्त हो, मैं शासनादेश के अनुसार किये गये वेतन निर्धारण से पूर्णतः सहमत हूं। अतः उपर्युक्त आपत्ति निराधार एवं सूची से समाप्त किये जाने योग्य है।

...ने प्राधिकरण में दिनांक 28.2.87 को अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण किये । विनियमित क्षेत्र से दिनांक 28.2.87 को कार्यमुक्त होते समय ये वेतनक्रम रुपये 354-550 में मूल वेतन रुपये 384-00 पा रहे थे ।

विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक पत्र सं0 350/प्रशासन-2 (क)-11-1/86 दिनांक 20 फरवरी 1987 द्वारा इन्हें कनिष्ठ लिपिक के लागू देय वेतन मान रुपये 340-550 में कार्य भार ग्रहण तिथि से रुपये 340-00 ही दिया गया था । जो पूर्व वेतन से रुपये 44-00 कम था । जो उचित न था जबकि विकास प्राधिकरण में नियुक्ति की तिथि का वेतन रु0 380 +4.0 व्यक्तिक वेतन जो आगामी वेतन वृद्धि में तल्लीन होनी थी निर्धारित किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधिक निर्धारित वेतन की वसूली अन्य भत्तों सहित की जाये ।

36. भविष्य निधि लेजर न बनाया जाना :-

कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि कटौती से सम्बन्धित लेजर नहीं बनाया गया था । अतः प्राप्त ब्याज तथा अंशदान का सम्यक सत्यापन सम्भव न हो सका । इसे वरीयता के आधार पर अनुरक्षित कराया जाय ।

37- सेवाभिलेख अप्रस्तुत :- अवर अभियन्ता श्री चन्द्रमोहन अग्रवाल की वैयक्तिक पत्रावली तथा सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई गई । इनकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर हुई थी, परन्तु अभिलेखों के अनुपलब्ध होने की दशा में लगाये गये शर्तों एव प्रतिबन्धों के अनुसार सत्यापन सम्भव न हो सका । इसे आगामी अवसर पर दिखाया जाय ।

38- वाहनों के स्पेयर पार्टस की एव अन्य भण्डार पंजी अप्रस्तुत :-

प्राधिकरण द्वारा फुटकर सामग्रियों की, अस्थाई डीजल, पेट्रोल तथा जीप कार, जिप्सी इत्यादि के स्पेयर पार्टो की भण्डार पंजिका नहीं बनायी गयी थीं । अतः वर्ष में कुल क्रीत डीजल, पेट्रोल एवं अन्य सामग्रि की वर्षवार उपभोगी का सम्यक जांच सम्भव न हो सकी । इसे अनुरक्षित कराकर आगामी अवसर पर दिखाया जाय ।

39. भवन निर्माण पूर्णता का प्रमाण -पत्र जारी न किया जाना :-

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (भवन मानचित्र स्वीकृति के अधीन लगाये गये शर्तें) के अनुसार एवं प्रपत्र 29 (भ0यो0) के शर्त 6 के आधार पर, "कोई भी भवन मालिक प्राधिकरण से भवन पूर्णता (कम्पलीशन) का प्रमाण -पत्र प्राप्त करने के बाद ही उसमें निवास करने का हकदार है । इससे सम्बन्धित कोई पत्रावली

भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र, प्रार्थी की प्रार्थनापत्र पर ही जारी करने का प्राविधान होता है। आवेदित ... की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में ... हेतु प्रपत्र/कार्यवाही की जा रही है

...रीक्षा से उपलब्ध नहीं कराई गयी । यह भी पूर्ण सम्भावना थी ...स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत, शर्तों का उलघन कर बनाये गये है । ...को लागू किया जायतो मानचित्र स्वीकृत करने के दायित्व ...व्यवस्थित एवं सुदृढ़ ढंग से भवन निर्माण होने से प्राधिकरण के ...योजनाओं का कहीं भी उलघन सम्भव नहीं होगा ।

...साथ अनाधिकृत निर्माण तथा नक्शे से परे निर्माण कार्यों ...पकड़ होने से कम्पाउडिंग जुर्माने, दण्ड शमन तथाअन्य शुल्कों की ...प्राप्ति सम्भव होगी । इसे तत्काल लागू करने हेतु प्राधिकरण ...अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है ।

निष्कर्ष :- उपर्युक्त वर्णित कण्डिकाओ के अवलोकन से विदित होगा ...लेखे मे अनेको, गम्भीर अनियमिततायें, अपव्यय, अधिक भुगतान अनियमित ...नियुक्तियों तथा अमान्य व्यय, जैसे रूपये 3,100-00 का असमायोजित अग्रिम ...रूपये 26,12,514-45 विकास शुल्काय का उपयोग प्राधिकरण के विकास ...कार्यों पर न किया जाना, शोधन निधि की स्थापना न किया जाना, ...विकास शुल्क का दर निश्चित न करना, मानचित्र पारण के पूर्व टैक्निकल ...अधिकारी की रिपोर्ट न लेना, अनाधिकृत निर्माणो के सम्बन्ध में कार्यवाही ...न किया जाना । बाहय विकास शुल्क से छूट दिया जाना । त्रुटिपूर्ण ...मानचित्रों की स्वीकृति रूपये 2,582-57 ब्याज की क्षति, रूपये 125/- ...सब डिविजन शुल्क की क्षति, रूपये 16,250-00 पजीकरण पुस्तिका छपाई ...पर अपव्यय रूपये 9,375-00 नियमावली छपाई पर अपव्यय, रूपये 1,17,032-03 निर्माण व्यय अभिलेख न दिखाना, नकदीकरण का भुगतान, ...स्टील आलमारियो की अनियमित ढंग से आपूर्ति, जिप्सी -यू0 जी0एक्स0 4533 का दुरूपयोग बिना स्वीकृति के व्यय, शासन के स्वीकृति के बिना श्री . गौड़ को सेवा मे बनाये रखकर वेतन का अमान्य भुगतान, वेतन गलत निर्धारण, अभिलेखों को न बनाया जाना, आदि प्रकरण थे । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृर्षित किया जाता है । मूल आपत्ति पत्र वापस नहीं किये गये, इन्हे अब अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को सीधे वापस किया जाय ।

आपत्ति पत्रावली अब शून्य है ।

(एम0 पी0 सक्सेना)
सहायक निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0
मेरठ मण्डल मेरठ ।

स्थान -- मेरठ
दिनांक 16.8.91
भगवती प्रसाद पाण्डेय
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

सत्यापित
वरिष्ठ लेखा परीक्षक
मेरठ मण्डल मेरठ

परिशिष्ट "क" एल0ओ0ए0 104

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार के आय और व्यय की तालिका। वर्ष 1986-87 व 87-88 में (अंक पूर्ण रुपयों में)

क्रमांक	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल को प्रा0 अवशेष	राजकीय अनुदानों और ऋणों के अति0 अन्य स्रोतों से आय।	वर्ष की आय: आवर्तक राजकीय अनु0	वर्ष की आय: अनावर्तक राजकीय अनु0	वर्ष की आय: राजकीय ऋण	वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)	सम्पूर्ण आयी प्रा0 सहित	वर्ष मे हुआ सम्पूर्ण व्यय	31 मार्च को अंतिम अवशेष	म = त ट य
1	2	3	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	4(च)	5 (3+4(च))	6	7	8
उपर्युक्त	वर्ष 1986-87	शून्य	524940-00	100000	-	40,00000	4624940	4624940	738729	3886211	
	वर्ष 1987-88	3886211	7073240	100000	-	-	7173240	11059451	5035096	6024355	

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट (ख) एल0ओ0ए0 105

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण वर्ष 1986-87 व 1987-88 में
(अक पूर्ण रुपयों में)

क्रमांक	आय के शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की तहत स्थिति कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	मन्तव्य
1	2	3	4		5
	1986-87				
1.	स्थापना अनुदान	1,00,000	1,00,000	-	
	1987-88				
1.	स्थापना अनुदान	1,00,000	1,00,000	-	

परिशिष्ट "म"

एल0ओ0ए0 -66

वर्ष 1986-87 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त ऋणों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे ऋण स्वीकृत हुआ	ऋण का प्रयोजन	ऋण की मौलिक धनराशि	ऋण प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त ऋण	योग	प्रति संदाय वर्ष में की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	शासनादेश सं03542/37-1-86/14 ती0.0/86 दिनांक 11.8.86	आधारित पूंजी §भ-अध्याप्ति एवं आवासीय योजनाओं हेतु§	2500000	23.8.86	-	2,500000	25,00,000	-	25,00,000	क §1§
2.	शा0सं0 926/28-1-12§19§/86 दिनांक 30.3.87	आधारित पूंजी §भ-अध्या0 एवं आवासीय योजनाओं हेतु§	15,00,000	31.3.87	-	15,00,000	15,00,000	-	15,00,000	क §2§

क§1§ 10 वर्ष मेटोरियम एवं वार्षिक ब्याज की दर 14 $\frac{1}{2}$ % किन्तु समय से प्रतिसंदाय पर ब्याज दर 11 % वार्षिक

क§2§ मेचोरिंग 10 वर्ष, 15 % वार्षिक ब्याज की दर, किन्तु समयाधिक प्रतिदान पर 11 $\frac{1}{2}$ % वार्षिक ।

परिशिष्ट (ग) एलओए -66

वर्ष 1987-88 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा प्राप्त ऋणों की तालिका

क्रमांक राजकीय आदेश सं0 तथा तिथि जिसके द्वारा स्वीकृत हुआ ।	ऋण का प्रयोजन	ऋण की मौलिक धनराशि	ऋण प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त ऋण	योग	प्रति संदाय रूप में की गई धनराशि मूलधन	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष ब्याज
1. शा0सं0 3542/37-1-86/ 14सी050/86 दि0 11.8.86	आधारिक पूंजी (भू-अध्याप्ति एवं आवासीय योजनाओं हेतु)	25,00000	23.8.86	2500000	-	2500000	-	2,75,000
2. शा0सं0 926/28-1-12 (19)/86 दिनांक 30.3.87	—तदैव—	15,00,000	31.3.87	1500000	-	1500000	-	1,72,500

क्रमांक 1:

अवशेष मूलधन	अवशेष ब्याज	मन्तब्य
25,00000	-	ब्याज की प्रथम किस्त 23.8.87 को दी गई ।

क्रमांक 2:

अवशेष मूलधन	अवशेष ब्याज	मन्तब्य
1500000	-	प्रथम किस्त दिनांक 31.3.88 को प्रति संदाय की गई ।

परिशिष्ट (घ) -66

वर्ष 1986-87 से 87-88 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा अपेक्षित अनुदानो की तालिका

क्रमांक राजकीय आदेश सं0 तथा तिथि जिससे अनु0 स्वीकृत हुआ	अनु0 का प्रयोजन	अनु0 की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रा0 अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनु0	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अंतिम अवशेष
1986-87								
1. सं05912/11-5-86-23(1)डी0ए0/8 दि0 9.1.87	स्थापना अनु0	1,00,000	9.2.87	-	100000	100000	100000	-

मन्तब्य :- वर्षान्तर्गत उददेश्यो पर व्यय हो चुका था ।

1987-88								
1. 2876/11-5-87 दिनांक 2.7.87	—	1,00,000	10.9.87	-	1,00,000	100000	100000	-

मन्तब्य :- वर्षान्तर्गत उददेश्यो पर व्यय हो चुका था ।

(35) -

कण्डिका 7 से सन्दर्भित
वर्ष 1986-87 व 1987-88 विकास प्राधिकरण हरिद्वार

अवधि	धनराशि जिस पर सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया गया ।	सम्परीक्षा शुल्क जो लगाया गया ।	बजट में प्राविधान	सम्परीक्षा शुल्क जमा का विवरण	बकाया सम्परीक्षा शुल्क	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7
1986-87	46,24,939-90	140390-00	शून्य	-	14,390-00	प्रथमवार सम्परीक्षा वर्ष 1988-89 व 1989-90 में सम्पादित हुई है । इसके पूर्व की सम्परीक्षा शुल्क आरोपित नहीं था ।
1987-88	67,74,510-36	200840-00	शून्य	-	20,840-00	
				योग	35,230-00	